प्रश्न – **भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित 'सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न' से आप क्या समझते हैं? वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में यह क्यों प्रासंगिक है? स्पष्ट करें। (250 शब्द)**

What do you understand by ' sovereignty' mentioned in the preamble of the Indian constitution-why is it relevant in the globalisation. Explain. (250 Words)

मॉडल उत्तर

- भूमिका में 'सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न' को बतायें।
- अगले पैरा में यह स्पष्ट करें कि वैश्वीकरण के दौर में यह क्यों प्रासंगिक है?
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

संम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है, जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता हो। अर्थात किसी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता हो।

आंतरिक स्वतंत्रता

–राजनीतिक मामलों में स्वयं सुझाव
–आर्थिक मामलों में स्वयं सुझाव
–सामाजिक व्यवस्था

बाह्य स्वतंत्रता

–विदेशी संबंध केवल भारत (हमारा देश) ही तय कर सकता है।

वैश्वीकरण के दौर में क्यों प्रासंगिक है?

वैश्वीकरण के दौर में कुछ मुद्दे वैश्विक बनकर उभरे जिस पर भारत सहित कोई भी देश स्वतंत्र निर्णय ले सकता है।

क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जो किसी राष्ट्र संपूर्ण संप्रभुता का हनन करते हैं तथा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, परमाणु समस्या, आदि ये सभी मुद्दे किसी देश की नीति निर्धारण में बाधा उत्पन्न करते हैं वही विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन जैसी बहुराष्ट्रीय संस्थाऐं किसी देश की आर्थिक नीति को प्रभावित करती हैं।

- बढ़ते सभ्यताओं के संघर्ष के मध्य राष्ट्र में अनेकता में एकता को सुनिश्चित करने के लिए सम्प्रभुता होना आवश्यक है।
- अपने देश की सांस्कृतिक पहचान को सुनिश्चित करने के लिए संप्रभुता आवश्यक है।
- मानवता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- चूंकि एक सम्प्रभु ही वैश्विक संगठनों, समझौतों को मानने और उनके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है।
- अपने आर्थिक विकास को ध्यान में रखने हुए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों के लिए संप्रभुता एक महत्वपूर्ण अवयव है।
- असंतुलित विकास, क्षेत्रीय विषमता से उत्पन्न अलगाववाद नक्सलवाद जैसे समस्याओं के समाधान करने के लिए संप्रभुता का होना आवश्यक हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतो, पर्यावरणीय मुद्दों जैसे महत्वपूर्ण संन्धियों और समझौतों को स्वदेश में लागू करने के लिए संप्रभुता का होना आवश्यक है।

अंत में संक्षिप्त, संतुलित व सारगर्भित निष्कर्ष दें।

नोट:– प्रश्नानुसार उत्तर के सभी बिन्दुओं को समाहित किया गया है, निर्धारित शब्द सीमा में व्यवस्थित कर विश्लेषण कर सकते है।